TWENTY RUPEES

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

(68)

निगरानी प्रकरण क्रमांक /   /2016   नि-3820-I-16

29-9-2016

1.मोती ढ़ीमर तनय रतना आयु 65 वर्ष

2. नारायणदास तनय हरजू ना.वा.सं.

निज माता सल्लू पत्नि हरजू ढ़ीमर

3.हल्लू तनय बल्दुआ ढ़ीमर

4. गनेशा तनय लछुआ ढ़ीमर

5. चैना तनय दुर्जन ढ़ीमर

6. हीरा तनय दुर्जन ढ़ीमर

7. सरजुआ तनय बल्दुआ ढ़ीमर

8. सन्तोष तनय बल्दुआ ढ़ीमर

19-9-16

9. गौरेलाल तनय कुन्जी ढ़ीमर

10.लखन तनय कुन्जी ढ़ीमर

11. सुखलाल तनय कुन्जी ढ़ीमर

12. बालचन्द तनय कुन्जी ढ़ीमर

समस्त निवासी मातौल तह. खरगापुर

जिला टीकमगढ़ म.प्र.

..............निगराकार्यगण

बनाम

1. हरचरण तनय वलुआ अहिरवार निवासी

फुटेर चक्र–1 तह. खरगापुर जिला

टीकमगढ़

2. शासन म.प्र. द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़

(2)

प्रतिनिगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा.सं. 1959

निगरानी प्रतिकूल विद्वान अधीनस्थ अधिकारी रा.ज.नि.मण्डल खरगापुर तह. खरगापुर जिला टीकमगढ़ रा.प्र.क्र.–18/अ 12/ 2015–2016 आदेश दिनांक 26/06/2016 के विरूद्ध

महोदय जी,

निगरानी प्रमुख तथ्य निम्न प्रकार से है :–

1. यह कि अधीनसत्य अधिकारी रा.नि.मण्डल खरगापुर पाड़ित आदेश विधि तथ्यों एवं वास्तविक नियम कानून के सर्वता विपरीत है। जिसमें प्राथमिक रूप से कानूनी भूल दृष्टि गोचर होती है।

2.यह कि विद्वान अधिनसत्य अधिकारी द्वारा सीमांकन की कार्यवाही के दौरान न तो सरहदी कृष्को को कोई जानकारी और न ही मोके पर उपस्थित होने का सूचना पत्र जारी किया। जिस दिनांक को सीमांकन कार्यवाही मौके पर की जाना है। पूर्णतः प्रकरण तामीली का अभाव है, विना सरहदी कृषको को सूचना दिये सीमांकन की कार्यवाही सम्पूर्ण प्रक्रिया दूषित है के तथ्य पर न्यायालय श्री मान् द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है।

3.यह कि न तो मौके पर सीमांकन किया न ही मौके पर फीलड बुक तैयार की गई न ही पंचनामा वनाया गया रा.नि. एवं हल्का पटवारी से मिलकर साईक्लोइ स्टाल आदेश पत्रिका एवं आदेश जारी किया जो राजस्व नियमावली के प्रतिकूल है समस्त कार्यवाही तत्वरता पूर्वक की गई ।उसी दिनांक को सीमांकन किया जाना पाया जाता, उसी दिनांक को आदेश किया जाना पाया जाता है सीमांकन कार्यवाही नियम विरूद्ध है जो निगराकारगण के पींठ पीछे की गई है स्थल पंचनामा पर किसी का कब्जा अंकित नहीं किया।

4. यह कि खसरा नम्वर 9/4 का पट्टा अन्य लोगों के नाम से वना है मूल प्रकरण में 9/4 का पट्टा अन्य व्यक्तियों के नाम से वना है। यही खसरा व रकवा प्रति निगराकार के नाम से सीमांकन किया गया है निगरा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3320-एक/2016 जिला टीकमगढ़ मोती ढीमर विरूद्ध हरचरण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल खरगापुर के प्रकरण क्रमांक 18/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26-06-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी खरगापुर को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी खरगापुर के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 01/02/2019 सदस्य	